population is dependent, either directly or indirectly, on agriculture. Drones can be used for spraying pesticides, monitoring the moisture, providing information of crop growth stage. Drones can increase crop production by 15 per cent while saving farmers a lot of labour. I, therefore, request the Central Government to establish a centre of excellence in research on drones technology at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh. Sir, this is, basically for three reasons; one, 65 per cent of Andhra Pradesh's population is engaged in agriculture, either directly or indirectly and farmers are very forward looking; Andhra Pradesh, particularly, is home to significant pool of IT manpower famous for their talent and innovation and, number three, Andhra Pradesh is one of the largest producers of fruits, vegetables, rice and is now, also shifting to production of palm oil. Therefore, I humbly request the Government of India to consider the demand for establishing the research centre on drones in Vishakhapatnam. Thank you, Sir.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

Need for reforms in the judicial system for ensuring simple, easy and speedy justice

श्री हरनाथ सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, देश की न्याय प्रणाली के प्रति जनता के मन में तेजी से गहराती निराशा और कुंठा के प्रति मैं सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देश के नागरिकों को न्याय प्रणाली से सरल, सुलभ, सस्ता, शीघ्र और पारदर्शी न्याय की अपेक्षा करना बेईमानी की बात लगने लगी है।

महोदय, पांच करोड़ मुकदमों के लंबित होने का अर्थ यह है कि पांच करोड़ परिवारों के 25 करोड़ नागरिक दोषपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया के उत्पीड़न के शिकार हैं। आखिर यह जवाबदेही किसकी है? सर्वोच्च न्यायालय अपने में असीमित शक्ति समेटे दिखता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट विभिन्न प्रकार के मुकदमों को निपटाने के लिए समयबद्ध न्याय प्रणाली अर्थात ज्युडिशियल चार्टर क्यों लागू नहीं करता, जिसमें प्रत्येक अपराध या वाद को तय करने के लिए समय-सीमा निश्चित हो।

मान्यवर, निचली अदालतों से लेकर उच्च अदालतों तक रिश्वतखोरी और दलाली आम बात है। आखिर साफ-सुथरे तरीके से न्याय मिले, यह जवाबदेही किसकी है? हमारा न्यायिक

तंत्र भाषायी जटिलता को बदलने के लिए तैयार नहीं है। सवाल यह है कि वादी और प्रतिवादी की समझ में न आने वाली अंग्रेज़ी भाषा को बनाए रखने तथा देश के नागरिकों को देश की मातृभाषाओं में न्याय न देने की आपकी ज़िद क्यों है? संविधान में सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को आरक्षण का प्रावधान है, परन्तु सर्वोच्च न्यायालयों व उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति में संविधान में प्रदत्त आरक्षण को न्यायिक तंत्र लागू करने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? यह अकाट्य सत्य है कि सर्वोच्च न्यायलय के जजों की नियुक्ति में जब तक सभी वर्गों के जजों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक वंचित व निर्धन वर्ग के लोगों को सही न्याय मिलना कठिन है। देश के लोगों को सरलता, शीघ्रता और पारदर्शिता से न्याय मिले, यह जिम्मेदारी हमारे न्यायिक तंत्र की है। साथ ही संसद के कार्य में न्यायपालिका का अनावश्यक, असंवैधानिक हस्तक्षेप रुकना भी जरूरी है। अन्यथा हम संसद की गरिमा को गिरा कर देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को तहस-नहस करने का काम करेंगे।

मान्यवर, आज देश में कॉलिजियम प्रणाली की काफी चर्चा है। सर्वोच्च न्यायालय देश को यह बताए कि संविधान की वह कौन सी धारा है जो यह कहती है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान से ऊपर है? दूसरे, संविधान की वह कौन-सी धारा है, जो संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन को खारिज करने का सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देती है?

महोदय, सर्वोच्च न्यायालय यदि खुद को संविधान के रखवाले के रूप में देखना चाहता है, तो उसे सबसे पहले न्यायाधीशों की नियुक्ति में लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों को अपनाना चाहिए।

अंत में, मैं आम जनता को सस्ता, सरल, शीघ्र और पारदर्शी न्याय ...**(समय की घंटी)**... दिलाने के लिए सरकार से त्वरित कदम उठाने की मांग करता हूं।

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Sir, I associate myself with the submission made by the hon. Member.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

श्री धनंजय भीमराव महादिक (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री रामचंद्र जांगड़ा (हरियाणा): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

डा. लक्ष्मीकांत बाजपेयी (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

ले. जनरल (डा.) डी. पी. वत्स (रिटा.) (हरियाणा): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री विवेक ठाकुर (बिहार): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करती हूं।

श्रीमती संगीता यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करती हूं।

श्री सकलदीप राजभर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्रीमती कान्ता कर्दम (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करती हूं।

सुश्री इंदु बाला गोस्वामी (हिमाचल प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करती हूं।

श्रीमती एस. फान्गनॉन कोन्याक (नागालैंड): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करती हूं।

श्री बृजलाल (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।